



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 899292-6/Sa-774/OA No-315 /2023

Dated 11-8-23

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: Regarding submission of Action Taken Report in compliance of the order dated 03.05.2023 in Original Application No.315/2023, In the matter of S.K. Singh Vs. State of Uttar Pradesh & Anr.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 03.05.2023 in Original Application No.315/2023, In the matter of S.K. Singh Vs. State of Uttar Pradesh & Anr., The Action Taken Report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,

(R.K. Singh)

**Chief Environment Officer
(Circle-6)**

Copy to: Following for information and further necessary action.

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB
Nagar, 201301.

**Chief Environment Officer
(Circle-6)**

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com



REPORT
PLACED BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL (NGT), NEW DELHI
O.A. No. 315/2023

In the matter of S.K. Singh Versus State of Uttar Pradesh & Others

1. Background

National Green Tribunal (NGT) order

The Hon'ble NGT has passed order on dt. 03.05.2023 in the matter of O.A. No. 315/2023 S.K. Singh Versus State of Uttar Pradesh & Others. The relevant part of the order is as follows :-

".....3. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Chief Development Officer, Varanasi, Divisional Forest Officer, Varanasi, UPPCB and District Magistrate, Varanasi and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, verify the factual position as to whether any pond existed over the land in question at any point of time as per the revenue record and what is the present factual position of the alleged pond in question and suggest appropriate remedial action by following due course of law. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 21.08.2023....."

Subsequently visit of pond situated in Village-Bakharia, Block-Kashi Vidyapeeth, Tehsil-Sadar, District-Varanasi was conducted by a joint committee on 01.08.2023 comprising following nominated officials:-

- 1- Sri Alok Kumar Verma, ADM (City), Varanasi.
- 2- Sri Vinod Ram Tripathi, Project Director, District Rural

- Development Authority (DRDA), Varanasi
- 3- Dr. S.C. Shukla, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Varanasi.
- 4- Sri Rakesh Kumar, Sub Divisional Officer, Varanasi Forest Division, Varanasi.

2. Factual report

In compliance of order passed by Hon'ble NGT on date 03.05.2023, factual report is as given below :-

1. Additional District Magistrate (City), Varanasi has directed to Tehsildar, Sadar, District-Varanasi vide letter no. 2398/ST-Nagar-2023, dt. 02.08.2023 to furnish factual report of Khasra no. 826, 827, 828, 830, 831, 833 & 834 Village-Bakharia, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. Concerned revenue official of Tehsil-Sadar, District-Varanasi has inspected site on dt. 04.08.2023. Detail report along with nazari naksha and khasara regarding above mentioned khasara no. 826, 827, 828, 830, 831, 833 & 834 Village-Bakharia, Tehsil-Sadar, District-Varanasi has been submitted to ADM (City), Varanasi. Report submitted by Revenue Department is annexed as **Annexure-1**. As per report submitted by Revenue Department are as follows :-

1.1 Arazi no. 826 area 0.550 hectare minjumla/batajat.

Arazi No. 826 Mi divided into 3 parts as given below:-

- 1.11: 826 Ka area 0.085 hectare category 1 (Ka) sankramariy land
- 1.12: 826 Kha area 0.206 hectare category 1(Ka) sankramariy land
- 1.13: 826 Ga area 0.259 hectare category 5 (1) parti land

Arazi no. 826 is as garden, agriculture & parti on partial part of land.

1.2 Arazi no. 827 area 0.335 hectare minjumla/batajat. Arazi No. 827 Mi divided into 2 parts as given below:-

- 1.21: 827 Ka area 0.121 hectare category 1 (Ka) sankramariy land
- 1.22: 827 Kha area 0.214 hectare category 6 (4) bheeta land

Arazi no. 827 on garden, well, kutiya (ashram), pathway & railing.

1.3 Arazi no. 828 area 0.206 hectare category 5 (1) Naveen parti land. Pond is situated on this arazi no. 828.

Arazi no. 828 pond/pokhara is situated. West and north directions two bathing ghats and one hand pump is established.

- 1.4** Arazi no. 830 area 0.012 hectare category 1 (Ka) sankramariy land

On arazi no. 830 land different varieties of plants grown.

- 1.5** Arazi no. 831 area 0.016 hectare category 1 (Ka) sankramariy land

On Arazi no. 831 land different varieties of plants grown.

- 1.6** Arazi no. 832 area 0.016 hectare category 1 (Ka) chak marg/rasta

- 1.7** Arazi no. 833 area 0.087 hectare category 1 (Ka) sankramariy land

Arazi no. 833 is as agricultural land and at present crop sown.

- 1.8** Arazi no. 834 area 0.069 hectare category 1 (Ka) sankramariy land

On Arazi no. 834 partial part of land single floor pucca building is constructed.

2. As per information furnished by Block Development Officer, Kashi Vidyapeeth, Varanasi vide letter no. 337/Manrega/Amrit Sarovar/2023-24, dt. 03.08.2023 to Project Director, DRDA, Varanasi (Annexed as **Annexure-2**) village pond is situated in Gram Panchayat-Bakharia near Kabeer Math & pond is rejuvenated/beautify as Amrit Sarovar under Manrega and 15th Finance Commission. Under Manrega program earthwork and citizen information work is done and total estimated cost was Rs. 0.40 lakh and expenditure was Rs. 18,845.00. Under 15th Finance Commission estimated cost was 7.49 lakh and total expenditure spent Rs. 7,24,185.00 out of which amount Rs. 72,365.00 spent on labour and Rs. 6,51,550.00 spent on materials (i)- Construction of pathway Rs. 5,87,550.00, (ii). Installation of bench Rs. 64,000.00 & (iii). Fencing work- through pipe-payment pending). Above work has been completed under Gram Nidhi in compliance of order of Additional Chief Secretary, Department of Rural Development and Panchayati

Raj, Govt. of U.P. vide letter dt. 27.04.2022 (Annexed as **Annexure-3**). At time of visit Sri Suresh Pal, Gram Pradhan of Village-Bakharia informed that total area of village pond is about 01 acre & selected as Amrit Sarovar in year 2022. The geo co-ordinate of village pond is 25.323341 latitude and 82.91624 longitude. During the visit excessive concretization of the village pond was not found. Approx. 2.5 feet pathway was found constructed around pond by paver blocks. Total 08 benches were found installed on the bank of pond. Pipe fencing was found around pond but cattle and human being can easily enter up to pond. Inlet and outlet of rainwater point is found constructed towards west direction of pond. Ramp was also found constructed towards north direction of pond easily accessible for bathing and drinking purpose of cattle and bathing of human being. At the time of visit humans were taking bath in pond. Bottom and side of pond are found earthen which helps water recharging of rain water. In east direction of pond Kakrahia Ekal Gram Pipe Pajjal Yojana 100 KL capacity of overhead tank is constructed by U.P. Jal Nigam, Varanasi for supply of drinking water in rural area approx. 3.51 km. in year 2018-19. Encroachment of pond was not found during visit. Tehsildar, Rajatalab has informed that encroachment of pond has not taken place by any person.

3. At the time of visit of pond total 44 trees/plants (Small & Large) were found on the bank of pond comprising of Neem (*Azadirachta indica*), Pipal (*Ficus religiosa*), Mahua (*Madhuca indica*), Bel (*Aegle marmelos*), Aam (*Mangifera indica*), Cassia syamia (*Cassia siamea*), Sheesham (*Dalbergia sisso*), Kanji (*Pongamia pinnata*), Sagaun (*Tectona grandis*), Chhitwan (*Alstonia scholaris*). Sub Divisional Forest Officer, Varanasi has given information regarding variety of plants, number, approx. age vide letter no. 08/29-1, dt. 05.08.2023. SDO, Varanasi Forest Division, Varanasi has informed that to maintain bio-diversity and Environmental Protection total 30 saplings of Arjun (*Terminalia arjuna*), Jamun (*Syzygium cumini*), Bargad (*Ficus benghalensis*), Gular (*Ficus glomerata*), Aam (*Mangifera indica*), Neem (*Azadirachta indica*), Bel (*Aegle marmelos*), Sheesham (*Dalbergia sisso*) will be planted on the bank of pond (Annexed as **Annexure-4**).

4. At the time of visit Sri Banarasi S/o Late Chaturi, Sri Prabhu Narayan Patel S/o Sri Kashinath Patel, Sri Suraj Kumar Patel S/o Sri Bhola Patel, Sri Suresh Pal, Gram Pradhan, Gram Panchayat-Bakharia resident of Village-Bakharia has informed that trees were not cut nearby pond area.

3- Recommendations :-

1. Gram Panchayat-Bakharia ensure to maintain pond in future & Block Development Officer, Kashi Vidyapeeth to monitor it from time to time.
2. Encroachment of pond must not be allowed by any person in any condition & District Administration shall ensure strict compliance of it.
3. Solid Waste/Liquid Waste should not be allowed to dispose/ discharge in pond & it is the responsibility of Gram Panchayat.
4. Forest Department, Varanasi shall ensure to do 30 nos. sapling of local species of plants as per action plan given with tree guards on the bank of pond and responsibility of protection of plants by gram panchayat-Bakharia.

Above factual report is submitted to Hon'ble NGT in compliance of order passed on date 03.05.2023.


(Rakesh Kumar)

Sub Divisional Officer,
Varanasi Forest Division,
Varanasi.


(Dr. S. C. Shukla)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Varanasi


(Vinod Ram Tripathi)
Project Director,
D.R.D.A., Varanasi



(Alok Kumar Verma),
ADM (City),
Varanasi.



Site visit in compliance of the order dt. 03.05.2023 passed by Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 315/2023 S.K. Singh Versus State of Uttar Pradesh & Others.



Site visit in compliance of the order dt. 03.05.2023 passed by Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 315/2023 S.K. Singh Versus State of Uttar Pradesh & Others.



Site visit in compliance of the order dt. 03.05.2023 passed by Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 315/2023 S.K. Singh Versus State of Uttar Pradesh & Others.



Site visit in compliance of the order dt. 03.05.2023 passed by Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 315/2023 S.K. Singh Versus State of Uttar Pradesh & Others.

महोदय,

कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), वाराणसी के पत्रांक संख्या-2398/एस0टी0-नगर-2023 दिनांक 02 अगस्त, 2023 के क्रम में आपको सूचित करना है कि दिनांक 04/08/2023 को मौके पर उपस्थित हो अभिलेखीय व स्थलीय जांच किया जो निम्नवत् है-

सर्वप्रथम अभिलेखीय जांच आख्या गाटावार निम्न है-

1. आराजी नं0 - 826 रकबा 0.550 हे0 मिनजुमला/बटाजात नम्बर 826क रकबा 0.085 हे0 व 826ख रकबा 0.206 हे0 व 826ग रकबा 0.259 हे0 में विभक्त है। जिसमें 826क व 826ख श्रेणी 1(क) की संक्रमणीय भूमि व 826ग श्रेणी 5(1) की नवीन परती भूमि है। उक्त बटाजात नम्बर भू मानचित्र मौजा बखरिया परगना कसवार राजा त0 सदर वाराणसी में तरमीम नहीं है।
2. आराजी नं0 - 827 रकबा 0.335 हे0 मिनजुमला/बटाजात नम्बर 827क रकबा 0.121 हे0 व 827ख रकबा 0.214 हे0 में विभक्त है। जिसमें 827क श्रेणी 1(क) की संक्रमणीय भूमि व 827ख श्रेणी 6(4) की भीटा भूमि है। उक्त बटाजात नम्बर भू मानचित्र मौजा बखरिया परगना कसवार राजा त0 सदर वाराणसी में तरमीम नहीं है।
3. आराजी नं0 - 828 रकबा 0.206 हे0 श्रेणी 5(1) की नवीन परती भूमि है। जिसमें पोखरा/तालाब भी है।
4. आराजी नं0 - 830 रकबा 0.012 हे0 श्रेणी 1(क) की संक्रमणीय भूमि है।
5. आराजी नं0 - 831 रकबा 0.016 हे0 श्रेणी 1(क) की संक्रमणीय भूमि है।
6. आराजी नं0 - 832 रकबा 0.016 हे0 चकमार्ग/रास्ता है।
7. आराजी नं0 - 833 रकबा 0.087 हे0 श्रेणी 1(क) की संक्रमणीय भूमि है।
8. आराजी नं0 - 834 रकबा 0.069 हे0 श्रेणी 1(क) की संक्रमणीय भूमि है।

नजरी दृष्टिकोण पर आधारित स्थलीय जांच आख्या गाटावार निम्न है-

1. आराजी नं0 - 826 के आंशिक भाग पर बाग, आंशिक भाग पर कृषि व आंशिक भाग परती है।
2. आराजी नं0 - 827 में बाग, कूप, कूटिया (आश्रम), पाथवे, रेलिंग है।
3. आराजी नं0 - 828 में तालाब/पोखरा अपने पूर्ण स्वरूप में है। जिसके पश्चिम और उत्तर ओर दो घाट व एक हैण्ड पम्प भी है।
4. आराजी नं0 - 830 व 831 में विभिन्न प्रकार के वृक्ष है।
5. आराजी नं0 - 833 में कृषि कार्य होता है और मौके पर फसल बोया गया है।
6. आराजी नं0 - 834 के आंशिक भाग पर एक मंजिला पक्का मकान निर्मित है।

आपके पत्र में दिये गये निर्देश के अनुपालन में सभी आराजियात का खसरा व खतौनी की प्रमाणित प्रति व मौके का फोटोग्राफ्स व नक्शा नजरी मुताबिक भू मानचित्र मौजा बखरिया परगना कसवार राजा त0 सदर वाराणसी संलग्न कर आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित है।

9043
ECHO

राजस्व निरीक्षक चण्डपुर 23
तहसील सदर वाराणसी



बसन्त सोनकर
लेखपाल श्रेणी 02
त0 सदर, जि. वाराणसी

07/08/23
N.T.
(5)

No Pollution
Board
Sj

ADMP
8/8/23

नकशा नजरी (मातृविक धु. मानचित्र) 26
 सी० वखरियां, प० कसंताजा त० सख्द वाराणसी



(Signature)
 05/8/2023
 वसन्त सोनकर
 लेखपाल क्षेत्र ३५६४
 त० सदर, जि. वाराणसी

विशेष नोट: या नकशातर्फील माहिती अंतिम असावी. कोणत्याही त्रुटीबाबत जिल्हा कार्यालय, वाराणसी येथे सूचना देण्यात येईल.

जिल्हा कार्यालय, वाराणसी
 पत्ता: नगरपालिका कार्यालय, वाराणसी
 तालिका क्रमांक: १२३४/२०२३-२४
 तारीख: ०५/०८/२०२३

उद्धरण खसरा

ग्राम.....**बखारिया**.....परगना.....**असवार**.....तहसील.....**सुन्दर**.....जिला.....**वाराणसी**.....सन् फसली सभन्धी **१९२६**

| खेतों की संख्या | क्षेत्रफल एकड़ में या बन्दोबस्ती (बीघा में) | खतौनी खेतों की संख्या | खतौनी के भाग-1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम (उत्प रफबा) | खतौनी के भाग-2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो | सिंचाई की राशि और कुर्ण | कृषक (फसलों वाली भूमि का क्षेत्रफल) | | | | | | दो फसल क्षेत्रफल | | मिलव खसरा के स्तम्भों के अनुसार कृषक बिना फसल वाली का व्यास | | प्रत्येक खेत के पूरे बड़े हुए वृक्षों की संख्या और किस्म | टिप्पणियाँ | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------------|-----|------|--------|---------|--------|------------------|----------------|---|--|--|------------|--|--|--|
| | | | | | | कृषक | रबी | जायद | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | भूमि की श्रेणी | क्षेत्रफल | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

सत्य प्रमाणित
शासक का
०३/०३/२०२३
०३/०३/२०२३

उद्धरण खसरा

ग्राम

खरिना

परगना

कस्तूर

राधा

तहसील

खेड़

जिला

बराणसी

सन् फसली सवबन्धी

१९३६

| खेतों की संख्या | क्षेत्रफल एकड़ में या बन्दोबस्ती (बीघा में) | खतौनी खेतों की संख्या | खतौनी के भाग-1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम | खतौनी के भाग-2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो | सिंचाई की राशि और कुर्रें | कृषक (फसलों वाली भूमि का क्षेत्रफल) | | | | | | दो फसल क्षेत्रफल | | मिलख खसरा के सवबन्धी के अनुसार कृषक बिना फसल वाली का व्यौरा | भूमि की श्रेणी | क्षेत्रफल | प्रत्येक खेत के पुरे बड़े हुए वृक्षों की संख्या और किस्म | टिप्पणी | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|--------|---------|------------|---------|---------|------------------|--------|---|----------------|-----------|--|-----------|---|---|--|
| | | | | | | खरीफ | रबी | जायद | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | फसल का नाम | सिंचित | असिंचित | फसल का नाम | सिंचित | असिंचित | फसल का नाम | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | भूमि की श्रेणी | क्षेत्रफल | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.3333 | 2 | 0.1899 | 0.1899 | — | | | | | | | | | | | | श्रीवा | 0.1899 | X | X | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | श्रीवा | 0.3918 | X | X | |

Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'श्रीवा' and 'श्रीवा' and various scribbles.

उद्धरण खसरा

ग्राम खरियां परगना कसर तहसील खर जिला बाराणसी सन् फसली सवन्धी १९३६

| खेतों की संख्या | क्षेत्रफल एकड़ में या बन्दोबस्ती (बीघा में) | खतौनी खेतों की संख्या | खतौनी के भाग-1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम | खतौनी के भाग-2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो | सिंचाई की राशि और कुरा | कृषक (फसलों वाली भूमि का क्षेत्रफल) | | | | | | दो फसल क्षेत्रफल | | मिलव खसरा के सन्धों के अनुसार कृषक बिना फसल वाली का व्यौरा | | प्रत्येक खेत के पूरे बड़े हुए वृक्षों की संख्या और क्रिस | टिप्पणी | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|------------------|-----------|--|---------|--|-----------|-----------|--------|---------|
| | | | | | | कृषक | क्षेत्रफल | सिंचित | असिंचित | क्षेत्रफल | सिंचित | असिंचित | क्षेत्रफल | सिंचित | असिंचित | | | क्षेत्रफल | सिंचित | असिंचित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 0.206 | 236 | नवीन चरनी | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | नवीन चरनी | 0.206 | X | X |
| 31 | 0.092 | 222 | सुमित नाथ व सिद्धु नाथ चद. | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | चरनी | 0.092 | X | X |
| 32 | 0.092 | 222 | बंजारा सराई दास चरनी | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | चरनी | 0.092 | X | X |
| 33 | 0.092 | 222 | चकमाज | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | चकमाज | 0.092 | X | X |

सहायक अधीक्षक (खसरा) बाराणसी जिला
 03/08/2010
 03/08/2010

उद्धरण खसरा

ग्राम बकरियाँ परगना कसर तहसील बखर जिला पारलसी सन् फसली सम्बन्धी १९६६

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | कृषक (फसलों वाली भूमि का क्षेत्रफल) | | | | | | दो फसल क्षेत्रफल | | मिलब खसरा के स्तम्भों के अनुसार कृषक बिना फसल वाली का व्यापार | | 20 | 21 | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------------------------|--------|---------|------------|---------|---------|------------------|--------|---|----------------|---------|----------------|-----------|--|---------|
| | | | | | | खरीफ | रबी | जायद | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | भूमि की श्रेणी | | | क्षेत्रफल | | |
| खेतों की संख्या | क्षेत्रफल एकड़ में या बन्दोबस्ती (बीघा में) | खतौनी खेतों की संख्या | खतौनी के भाग-1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम | खतौनी के भाग-2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो | सिंचाई की राशि और कुएँ | फसल का नाम | सिंचित | असिंचित | फसल का नाम | सिंचित | असिंचित | फसल का नाम | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | भूमि की श्रेणी | क्षेत्रफल | प्रत्येक खेत के पुरे बड़े हुए वृक्षों की संख्या और किस्म | टिप्पणी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | परती | 0.0026 | X | X |
| | | | | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | परती | 0.0028 | X | X |

सत्य प्रमाणित
शासकीय कार्य

०३/०१/२०२३
०३/०१/२०२३



उद्धरण खतीनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2094492023086

ग्राम क्रमांक : 209449 ग्राम का नाम / परगना : बखरिया(कसरत रावा) तहसील : सरत तालुका : बाराणसी जिला : बाराणसी जिला का नाम / पिन कोड : 209449

| खतीनी क्रम संख्या | खतियार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भूमिक अधिकार प्राप्त करने का वर्ष | खतिये के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हि.) | खतियार द्वारा देय मासगुबारी या लगान | परिवर्तन संख्या आजा या अथवा सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक महिना और आजा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | -----2----- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |

श्रेणी : 1-क / प्रति जो संरक्षणीय प्रतिपरी के अधिकार में जो

| | | | | | | | |
|-------|---|------|------|--------|-------|---|---|
| 00095 | गागराड़ बास आचार्य मठवा / मोहल्ला कबीरचौर सरत | 1406 | 827क | 0.1210 | | | |
| | | 1406 | 831 | 0.0160 | | | |
| | | 1406 | 821 | 0.3560 | | | |
| | | 1406 | 826ख | 0.2060 | | | |
| | | 1406 | 824 | 0.5350 | | | |
| | | | 5 | 1.2340 | 36.52 | 0 | 0 |

कुल गाटे- पाँच कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव दो तीन चार सय (हिक्टर) कुल मासगुबारी - तीन छः दशमलव पाँच दो सय

Data Digitally Signed by: RAJIV KUMAR

अधिकृत बाराणसी का अधिकारित <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है

सहय अधिकारी: RAJIV KUMAR

पता: बाराणसी

दिनांक एवं समय: 05-08-2023 04:24:53

यह उद्धरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक दिशावली सिस्टम द्वारा किया की गयी है तथा यथा दिनांक प्रकाशित हो सकता है



उद्धरण खतौनी (शामकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2094492023087

ग्राम क्रमांक : 209449 ग्राम का नाम / परामा : बड़सिया(कसवार सवा) तहसील : सरत जनपद : बाराणसी फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) गावा : 1

| खला खतौनी क्रम संख्या | खतौदार का नाम / पिता पति संयुक्त का नाम / निवास स्थान | भूमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष | खतौ के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (कि.) | खतौदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन संभव्यी आजा या उसका सारांग उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आजा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | -----2----- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |

श्रेणी : 1-क / भूमि को संकल्पणीय भूमिपते के अधिकार में हो

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|------|--------|--|--|---|---|--|
| 00302 | मुन्नालाल पटेल / श्यामाचरण / ककरहिया सतीश कुमार पटेल / श्यामाचरण / ककरहिया श्रीमती जलेश देवी / श्यामाचरण / ककरहिया रामबली / बसन्ता / नि. ग्राम शिवेन्द्र / बसन्ता / नि. ग्राम रामसिंह / बसन्ता / नि. ग्राम मुनीराज / मेवा / ककरहिया सिद्धनाथ / मेवा / ककरहिया रामाशंकर / गरबू / ककरहिया उमाशंकर / गरबू / ककरहिया जीनरायन / गोविन्द / ककरहिया लालना / गोविन्द / ककरहिया कान्ता / गोविन्द / ककरहिया बसन्ता / गोविन्द / ककरहिया रामनारायण / गोविन्द / ककरहिया मेवा / गोविन्द / ककरहिया जयकरन / बटुक / ककरहिया पद्मान / बटुक / ककरहिया सुरेश / किशोर / ककरहिया | 1406रु. | 826क | 0.0850 | | | बार सं02013147014103 त00क0 22.6.18 त00च0परत बाराणसी मीना कछरिया पत0 क0पजा त00 व जिला बाराणसी की खतौनीवर्क 1425-1430 फ0 के खला सं0 302 लगान परतखाला से मुक्त कसीरतकर्त लालता प्रसाद पुत्र स्व0 सरबू निवासी ग्राम ककरहिया पत0क0पजा त00 सरत जिला बाराणसी कानाम निरस्त करके करिसे फकीकृत कसीरतनामा पत्रवाली सिंह व शिवेन्द्र कुमार सिंह व रामसिंह कुमरण बसन्त लाल नि0पण ककरहिया पत0क0पजा त00सरत जिला बाराणसी वतीर सं0प0 सहायतादेवर अंकित हो | वार्ड सं020221419700996001060त0क001.02.2022त0नि0चट्टर मुक्त परामा अंक प्रमाण सिंह पुत्र स्व0 बटुक के स्थान पर संघीने देवी फनी स्व0 प्रमाण सिंह व चन्द्रकाया सिंह व विजय प्रकाश सिंह व रामशंकर सिंह कुमरण स्व0 प्रमाण सिंह नि0 ककरहिया का नाम वतीर वापिस दल हो | |
|-------|--|---------|------|--------|--|--|---|---|--|

कुल गाँव- एक कुल क्षेत्रफल- शहर व ग्रामफल शहर आठ पाँच शहर (किस्म) कुल भू-भागफल - शहर व ग्रामफल आठ छः षण्ठे

1

0.0850

₹ 0.86

2

0

Data Digitally Signed by: ARVIND KUMAR PANDEY



अधिक अद्यतन खतों का अधिकांशता <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

सारा अधिकारी: RAJKUMAR

पदनाम: शहर, ग्रामफल

दिनांक एवं समय: 05-08-2023 04:25:05

यह अद्यतन खतों में मल्लोचित दिखती रिपोर्ट का कारण की नहीं है तथा और किसीतल कारण का संभावित है।



उद्धारण खतौनी (शासकीय)

उद्धारण क्रमांक : 2094492023088

| श्रम क्रमांक : 209449 | श्रम का नाम / पुराना : बदरिया(कसरार राजा) | तहसील : सर | जनपद : गंगवासी | कमती वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) | पगा : 1 | | |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|---------|
| खता खतौनी क्रम संख्या | खतदार का नाम / पिता पति संसक का नाम / निवास स्थान | शैक्षिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष | खत के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खतदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
| 1 | -----2----- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| श्रेणी : 5-1 / कृषि योग्य भूमि - नई पट्टी (पट्टीदार) | | | | | | | |
| 00537 | नवीन पट्टी / / | | | | | | |
| | | | 659 | 0.0120 | | | |
| | | | फि113 | 0.1260 | | | |
| | | | फि100 | 0.0080 | | | |
| | | | 412 | 0.0160 | | | |
| | | | 828 | 0.2060 | | | |
| | | | 526 | 0.0080 | | | |
| | | | 378 | 0.0240 | | | |
| | | | 393 | 0.0120 | | | |
| | | | 467 | 0.0320 | | | |
| | | | 239 | 0.0120 | | | |
| | | | 379 | 0.0160 | | | |
| | | | 238 | 0.0120 | | | |
| | | | 826 ^ग | 0.2590 | | | |
| | | | 477 | 0.0400 | | | |
| | | | 372 | 0.0060 | | | |
| | | | 192 | 0.0360 | | | |
| | | | 101 | 0.0080 | | | |
| | | | 144/908 | 0.0100 | | | |
| | | | 569 | 0.0470 | | | |
| | | | 382 | 0.0280 | | | |
| | | | | | | 1408 फ. आदेश शीमान उपजिला. सर. वारा. की स्वीकृती दि. 15.2.01 ई. व ए.ए.म.बदरिया के प्रस्ताव दि. 1.12.2000 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सामने उपजिला आ. न. व खता फ. आज्ञास आबदन स्वीकृती कि या जाता है, उक्त खता गांव तथा से खतौनी क्षेत्र श्रेणी 6(2) दर्ज है ा विवरण निम्नवत है ा | |
| | | | | | | 1-बंशराम गुल बेरू. स्था. चमार.210रकबा.0.010 . 2- करैया गुल मरदू. स्था., चमार. आ.न.109/905 रक.0.012.3- मनीया पत्नी मल्ली स्था. चमार. आ.न.156 फि.र.0.012.4- बल्ली गुल खसरा. स्था. चमार. आ.न.119 फि. रक.0.010 5- वण. गुल सामली स्था. चमार. आ.न.113फि. रक.0.012, 6- राज कुं मार गुल बदरल क र्क बाहुलाल स्था. चमार. आ.न. | |
| | | | | | | 116 रक.0.008, फि.113रक.0.004.7- शिवमती गुल बोख. स्था. चमार. आ.न.93 फि. रक.0.012, 8- कमला देवी विख्या शकर. स्था. चमार. आ.न.93 रक.0.012.9- कि गुल गुल पनेर. स्था. चमार. आ.न.93फि. रक.0.012, 10- निकला देवी पत्नी विरदू. स्था. चमार. आ.न.113 फि. रक.0.012, 11- विदेशी गुल गुल स्था. चमार. आ.न.113 फि. रक.0.012, 12- | |

| | | | |
|---------|--------|--------|--|
| 618 | 0.0120 | 618 | क्रम पुा लेडी स्था. चमार आ.र.113 फि. रक.0.012, 13- मन् पुा सुवदेव स्था. चमार आ. र.113 फि. रक.0.012,14- पया देवी पत्नी पना स्था. चमार आ. र.113 फि. रक.0.012, 15- चारकी पुा मरकू स्था. चमार आ.र.113 फि. रक.0.012, 16- विवाही विवाह सेवाराम स्था. चमार आ.र.119फि. रक. 0.010, 17-यारेलाल पुा बट्टई स्था.चमार आ.र.113 |
| 198 | 0.0060 | 235 | फि. रक.0.012,18- बोधी पुा लक्ष्मण स्था. चमार आ.र. 113 रक.0.012,19- लल्लन पुा अलरू स्था. चमार आ. र.113 फि. रक.0.012,20- मिडाई पुा मकबल स्था. चमार आ.र. 113फि. रक.0.012, 2- रामधनी पुा बोखू स्था. चमार आ.र. 113 फि. रक.0.012,22-हीरिला पुा नन्दू स्था.चमार आ.र. 113फि.रक.0.012, 23-मीत देवी पत्नी छन्-स्था. चमार |
| 17 | 0.0080 | फि.89 | आ. र.113 फि.रक.0.012,24-समारकी विवाह सदर स्था. चमार आ.र.113फि. रक.0.012,25-यमदेव पुा सुरखुर स्था. चमार आ.र.113फि. रक.0.012,26-पचम पुा लुखुर स्था. चमार आ.र.113 फि. रक.0.012,27-रुनु पुा बाहू स्था. चमार आ.र.113फि. रक.0.012,28- हीरलाख पुा पुाव स्था.चमार आ. र.89 रक.0.012,29-याम्बाल पुा पचम स्था.चमार आ. |
| 903 | 0.0240 | 744 | र.89 फि.रक.0.012,30-मिरीठी पुा मेरीठी स्था. चमार आ. र. 89 रक.0.012,31-लालचन्द पुा मन्तू स्था. चमार आ.र.89 फि. रक.0.012,32-रुधनाथ पुा पचम स्था. चमार आ.र.89 रक.0.012,33-लल्लो देवी पत्नी लल्लन स्था.चमार आ.र.89 फि.रक.0.012,34-यामकी पुा मीठी स्था. चमार आ.र.89 फि. रक.0.012,35-करन्तू पुा बालन स्था. चमार आ.र. |
| 109/905 | 0.0040 | 755अ | |
| | 0.0080 | 630 | |
| | 0.2030 | फि.119 | |
| | 0.0150 | | |
| | 0.0160 | | |
| | 0.0220 | | |
| | 0.0400 | | |
| | 0.0240 | | |
| | 0.0100 | | |



उद्धरण खतीनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2094492023089

ग्राम क्रमांक : 209449 ग्राम का नाम / परगना : बखीया(कसरार थाना) वरसाल : सरदर जनपद : बाराणसी फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) पन्ना : 1

| खता खतीनी क्रम संख्या | खतिदार का नाम / पिता पति संयुक्त का नाम / निवास स्थान | धार्मिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष | खत के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खतिदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका कारण उसकी संख्या तथा चिन्ताक संज्ञित और आशा देने वाले अधिकारी का पद | दिखायी |
|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------|
| 1 | -----2----- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |

श्रेणी : G-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो।

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---|---------------------|----------------------------|--------|---|---|
| 00564 | श्रील / / | | 827ख 777 774ग | 0.2140 0.1210 0.2870 | | | |
| | | 3 | 3 | 0.6220 | ₹ 0.00 | 0 | 0 |

कुल गाटे- तीन कुल क्षेत्रफल- चार दशमलव ऊ. दो दो शून्य (दोहरेपन) कुल मालगुजारी - चार दशमलव चार शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAJIV KUMAR

अधिकार प्रमाणित करने के लिए <http://upbhulekh.gov.in> वेबसाइट पर जाकर जांच कर लें।

सहस्र अभिलेखी: RAJKUMAR

महसिले: सरदर जनपद: बाराणसी

दिनांक एवं समय: 05-08-2023 04:25:52

यह उद्धरण खतीनी प्रमाणिक दस्तावेज है और इसका उपयोग केवल आधिकारिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।



उद्धरण खतीनी

उद्धरण क्रमांक : 20944920230810

| ग्राम क्रमांक : 209449 | ग्राम का नाम / पुराना : बखीया(कमवार राजा) | तहसील : सरत | जनपद : बाराणसी | कमसौ वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) | पार्श्व : 1 | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|---------|
| खता खतीनी क्रम संख्या | खतदार का नाम / पिता यदि संशुद्ध का नाम / निवास स्थान | भौतिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष | खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खतदार द्वारा देय यासुजाती या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | दिप्पती |
| 1 | -----2----- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| 00294 | मुक्तिनाथ / मेवा / ककरहिया सिद्धनाथ / मेवा / ककरहिया | 1406क. 1406क. | 830 834 | 0.0120 0.0690 | | <p>वार सं0T202214700114157 तल0क0 18.07.2022 तहसीलदार न्यायिक सरत बाराणसी मौजा-बखीया, परगना-कमवार राजा, तहसील व जिला बाराणसी की खतीनी वर्ष 1425-1430 पसली के खता संख्या 00294 तल0क0 834 रकबा 0.0690 हे0 में से रकबा 2720 वर्गफिट यानि 252.788 वर्गमीटर लगान पसल खता से नाम विक्रतागण श्री मुक्तिनाथ व श्री सिद्धनाथ पुराण मेवा निवसतीगण राम-ककरहिया परगना कमवार राजा तहसील सरत जिला बाराणसी का निस्त करके नाम क्रेती सुशीला वर्मा पुत्री श्री सुखरू प्रसाद वर्मा निवासिनी आमन-सुखरू पोस्ट अकोला (अनई) जिला बाराणसी बतौर संक्रमणीय भूमिपर सरखतदार अधिकारी</p> <p>वार सं0T202214700114158 तल0क019.09.2022 तहसीलदार न्यायिक सरत बाराणसी मौजा-बखीया, परगना-कमवार राजा, तहसील व जिला बाराणसी की खतीनी वर्ष 1425-1430 पसली के खता संख्या 00294 तल0क0 834 रकबा 0.069 हे0 में से रकबा 2730 वर्गफिट यानि 253.717 वर्गमीटर लगान पसल खता से नाम विक्रतागण श्री मुक्तिनाथ व श्री सिद्धनाथ पुराण श्री मेवा निवसतीगण मौजा-ककरहिया परगना कमवार राजा तहसील सरत जिला बाराणसी का निस्त करके नाम क्रेती श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री अनिल कुमार निवासिनी मौजा-बखीया तहसील कुंड सेनाशाश्रम बाराणसी बतौर संक्रमणीय भूमिपर सरखतदार अधिकारी</p> | 0 |
| कुल गाटे- दो | कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव शून्य आठ एक शून्य (हिस्टेर) | कुल भू-राजस्व - दो दशमलव सात एक रुपये | 2 | 0.0810 | ₹ 2.71 | 2 | 0 |

Data Digitally Signed by: Arvind Kumar Pandey



यहाँ दर्ज की गई जानकारी <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जारी किया जा सकता है।

उपभूखण्ड नाम: RAKUMAR
पतेदार: भद्र शर्मा शर्मा
दिनांक पत्र संख्या: 05-08-2023 04:26:21
यहाँ दर्ज की गई जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है तथा इस जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है।



उद्धारण खतीनी (शासकीय)

उद्धारण क्रमांक : 20944920230811

| ग्राम क्रमांक : 209449 | ग्राम का नाम / परतना : खखरिया(कसरार राका) | तहसील : सरत | तनवर : बाराणसी | कसरती वरत : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 वूत, 2023) | पाना : 1 | डिपनी | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------|
| खाला खतीनी क्रमा संख्या | खतीदार का नाम / बिना वति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | कीसिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष | खती के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खतीदार द्वारा देय मान्यता या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद | डिपनी |
| 1 | -----2----- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - खाला, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी वसती भूमियां जो अकृषित उपयोगों के कारण में लायी जाती हों। | | | | | | | |
| 00550 | चकपानी // | | 563 | 0.0200 | | | |
| | | | 458 | 0.0650 | | | |
| | | | 325 | 0.0830 | | | |
| | | | 466 | 0.0080 | | | |
| | | | 873 | 0.0910 | | | |
| | | | 622 | 0.0340 | | | |
| | | | 832 | 0.0160 | | | |
| | | | 180 | 0.0490 | | | |
| | | | 202 | 0.0200 | | | |
| | | | 266 | 0.0280 | | | |
| | | | 848 | 0.0240 | | | |
| | | | 70 | 0.0260 | | | |
| | | | 816 | 0.0040 | | | |
| | | | 353 | 0.0080 | | | |
| | | | 57 | 0.0890 | | | |
| | | | 215 | 0.0080 | | | |
| | | | 738 | 0.0450 | | | |
| | | | 28 | 0.0080 | | | |
| | | | 376 | 0.0240 | | | |

| | | | |
|-----|--------|--|--|
| 332 | 0.0120 | | |
| 812 | 0.0320 | | |
| 242 | 0.0400 | | |
| 454 | 0.0160 | | |
| 462 | 0.0080 | | |
| 121 | 0.0160 | | |
| 83 | 0.0210 | | |
| 29 | 0.0040 | | |
| 825 | 0.0160 | | |
| 859 | 0.0280 | | |
| 892 | 0.0120 | | |
| 556 | 0.0770 | | |
| 404 | 0.0240 | | |
| 902 | 0.0550 | | |
| 808 | 0.0080 | | |
| 820 | 0.0120 | | |
| 248 | 0.0230 | | |
| 177 | 0.0260 | | |
| 84 | 0.0150 | | |
| 352 | 0.0110 | | |
| 697 | 0.0490 | | |
| 443 | 0.0220 | | |
| 818 | 0.0160 | | |
| 456 | 0.0200 | | |
| 662 | 0.1170 | | |
| 771 | 0.1340 | | |
| 103 | 0.0060 | | |
| 740 | 0.0950 | | |
| 135 | 0.0200 | | |
| 226 | 0.0240 | | |
| 250 | 0.0040 | | |

| कुल गाँव-पीव नौ | कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव आठ तीन चार शून्य (हेक्टेयर) | कुल %-व्यवस्था - शून्य दशमलव शून्य शून्य सयें | | | |
|-----------------|---|---|-----------|---------------|----------|
| | | | 66 | 0.0200 | |
| | | | 363 | 0.0970 | |
| | | | 475 | 0.0040 | |
| | | | 191 | 0.0260 | |
| | | | 229 | 0.0140 | |
| | | | 396 | 0.0220 | |
| | | | 64 | 0.0120 | |
| | | | 283 | 0.0120 | |
| | | | 645 | 0.0140 | |
| | | | 59 | 1.8340 | |
| | | | | ₹ 0.00 | 0 |
| | | | | | 0 |

Data Digitally Signed by: RAJIV KUMAR



यसके अलावा सर्तीशी का ऑफिसियल वेबसाइट <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर फिनाल जाँच कर सकते हैं।

सदर अधिकारी: RAJKUMAR
सदरपोस्ट: गुरा, अमरावती, सांगली
दिनांक एवं समय: 05-08-2023 04:27:00
यह अलावा सर्तीशी ऑफिसियल वेबसाइट <http://upbhulekh.gov.in> पर जाकर फिनाल जाँच कर सकते हैं।



उद्धरण खर्चीनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 20944920230812

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|-------|
| ग्राम क्रमांक : 209449 | ग्राम का नाम / परगना : बरखरिया(कसरार गावा) | तहसील : सदर | अनुपद : बाराणसी | फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) | पाना : 1 | | |
| खाला खर्चीनी क्रम संख्या | खर्चदार का नाम / पिता पति सरखक का नाम / निवास स्थान | भूमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष | खर्चे के प्रत्येक गाटे की छमाया संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खर्चदार द्वारा देख मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सचिवजी आशा या उसका सारांज उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद | दिखनी |
| 1 | -----2----- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| 00301 | मुनालाल पटेल / श्यामाचरण / ककरहिया सतीश कुमार पटेल / श्यामाचरण / ककरहिया श्रीमती बलेबा देवी / श्यामाचरण / ककरहिया रामाशंकर / गरबू / ककरहिया उमाशंकर / गरबू / ककरहिया | 1406रु. | 833 | 0.0870 | | <p>वार्ड सं0 20211419700996003234 तल0क0 20/02/2021 तल0न0 बालगुर पतक बलेबा देवी पत्नी श्यामाचरण के स्थान पर मुना सिंह व सतीश पटेल कुलण स्व0 श्यामाचरण नि0ण ककरहिया फे0 लोहला बाराणसी का नाम बतौर वारिस दर्ज हो</p> <p>वार्ड सं0T202114700114167 तल0क0 01.10.2021 तल0न0सदर बाराणसी मौजा-बरखरिया, परगना-कसरार एवा, तहसील व जिला बाराणसी की खर्चीनी वर्ष 1425-1430 फसली के खाला संख्या 00301 आरजी नम्बर 833 रकबा 0.087 हे0 दे अपना सम्पूर्ण शैथानिक अंश रकबा 0.029 हे0 यानि 3155.2 वर्गफीट यानि 293.23 वर्गमीटर लगान खाला से नाम विक्रेताण श्री सतीश कुमार पटेल पुत्र स्व0 श्यामाचरण निवासी मौजा-ककरहिया परगना कसरार एवा तहसील सदर जिला बाराणसी व श्री मुनालाल पटेल उर्फ मुना सिंह पुत्र स्व0 श्यामाचरण उर्फ श्यामाचरण निवासी मौजा-ककरहिया तखशीपुर परगना कसरार एवा तहसील सदर जिला बाराणसी निस्सत करके नाम देवी श्रीमती आसीमा राव पत्नी श्री मिलिन राव निवासिनी ग्राम-राणपुर कोलना तहसील चुनार जिला मिर्जापुर बतौर संक्रमणीय भूमिपर अधिकार हो</p> <p>वार्ड सं0T202214700123209 तल0क0 11.10.2022 तहसीलसदर न्यथिक सदर बाराणसी मौजा-बरखरिया, परगना-कसरार एवा, तहसील व जिला बाराणसी की खर्चीनी वर्ष 1425-1430 फसली के खाला संख्या 00301 आरजी0 833 रकबा 0.087 हे0 दे अपना सम्पूर्ण शैथानिक अंश रकबा 0.029 हे0 यानि 293.335 वर्गमीटर लगान पत्नी खाला से नाम विक्रेता श्री उमाशंकर पुत्र स्व0 गरबू निवासी ग्राम-ककरहिया परगना कसरार एवा तहसील सदर जिला बाराणसी का निस्सत करके नाम देवी श्रीमती शशीबाता शहरा पत्नी श्री दीपक शारद व श्रीमती इशवती</p> | |

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिपर अधिकार में हो

देवी पत्नी श्री विष्णुशक्तिवती निवासिनीग प्रम-भट्टी लोटेला विजल बाणगढी
बदौर संक्रमणीय भूमिपर साजवातेदार अधिकार ले

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------------|---|--------|--------|---|---|
| कुल गाटे- एक | कुल क्षेत्रफल - राज्य दायमलाव राज्य आठ सात ग्राम्य (हेक्टर) | कुल भू-मालक - दो दायमलाव सात एक रुपये | 1 | 0.0870 | ₹ 2.71 | 3 | 0 |
|--------------|---|---------------------------------------|---|--------|--------|---|---|

Data Digitally Signed by: Arvind Kumar Pandey



उपरोक्त उद्यम सहयोगी का वेबसाइटवरन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर विज्ञापन या सफल है

नामन अधिकारी: RAJKUMAR


नहरकोड: सहर आरवदा: बाणगढी

दिनांक एवं समय: 05-08-2023 04:27:17

यह उद्यम सहयोगी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देशन सिस्टम द्वारा किया की गयी है तथा यहाँ डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित है



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर), वाराणसी।

50

पत्रांक/ 2338 /एस0टी0-नगर-2023

दिनांक : 07, अगस्त, 2023

तहसीलदार,
सदर, वाराणसी।

सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या-1193454/सी-6/रा0-774/2023 दिनांक 14.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-315/2023 एस0के0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.2023 के अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने के निदेश दिये गये है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में ग्राम ककरहिया-बखरिया के सीमा पर स्थित आराजी नं0-826, 827, 828, 830, 831, 832, 833 व 834 के सम्बन्ध में जांच करते हुए अभिलेखीय साक्ष्य मय खसरा, खतीनी व फोटोग्राफ लौटती डाक से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को ससमय आख्या उपलब्ध कराया जा सकें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर),
वाराणसी।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, वाराणसी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर),
वाराणसी।

कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर), वाराणसी।

पत्रांक 2398 /एस0टी0-नगर-2023

दिनांक : 02, अगस्त, 2023

तहसीलदार,
सदर, वाराणसी।

सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या-1193454/सी-6/रा0-774/2023 दिनांक 14.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-315/2023 एस0के0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.2023 के अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में ग्राम ककरहिया-बखरिया के सीमा पर स्थित आराजी नं0-826, 827, 828, 830, 831, 832, 833 व 834 के सम्बन्ध में जाँच करते हुए अभिलेखीय साक्ष्य मय खसरा, खतौनी व मौके के फोटोग्राफ लौटती डाक से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को ससमय आख्या उपलब्ध कराया जा सकें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर),
वाराणसी।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, वाराणसी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर),
वाराणसी।

3540
NT city
28/23

समभवद्वी नं0 नि0/लखपूर/अगस्त
रु0 जाँच कर आख्या दें।

③ दिवस

ना0 प्रहलद शिवपु.
वाराणसी
04/08/23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 11A3947 / सी-6/राज-774/O.A. No.315/2023/2023

Dated 19/05/23

मा० एन०जी०टी० प्रकरण/
ई-मेल द्वारा

सेवा में

1. जिलाधिकारी,
वाराणसी, उ०प्र०।
2. मुख्य विकास अधिकारी
वाराणसी, उ०प्र०।
3. प्रगायीय वन अधिकारी,
वाराणसी, उ०प्र०।

2343

मुख्य विकास अधिकारी/
जनगीय वन अधिकारी

कृपया निम्नानुसार

कार्रवाई करें।

विषय: मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित O.A. No.315/2023 एस०के० सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.2023 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयका मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित O.A. No.315/2023 एस०के० सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित संलग्न आदेश दिनांक 03.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। मा० अभिनन्दन द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है :-

".....3. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Chief Development Officer, Varanasi, Divisional Forest Officer, Varanasi, UPPCB and District Magistrate, Varanasi and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, verify the factual position as to whether any pond existed over the land in question at any point of time as per the revenue record and what is the present factual position of the alleged pond in question and suggest appropriate remedial action by following due course of law. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ugt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 31.08.2023"

मा० अधिकरण द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी, प्रगायीय वन अधिकारी, वाराणसी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी, वाराणसी की एक संयुक्त समिति गठित करते हुये समिति द्वारा 02 माह में रिपोर्ट मा० अधिकरण में दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से डा० एस०सी० शुक्ला, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को संयुक्त समिति का सदस्य एवं नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका मो० नम्बर-07839881067, ई-मेल rovaranasi@uppcb.in है।

आतः आपसे अनुरोध है कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कमेटी हेतु अपने विभाग से सदस्य नामित करते हुए नोडल अधिकारी को सीधे सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत् कार्यवाही की आख्या निर्धारित समयावधि में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल की जा सके।

संलग्नक:- यथापरि।

भयंश्री,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को द्वारा निर्देश का साथ प्रेषित कि संघनित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुये मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मा० अधिकरण में आख्या दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226019
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

ASO/SA

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी
काशीविद्यापीठ, वाराणसी।

सेवा में,

परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
वाराणसी।

पत्रांक 337/मनरेगा/अमृत सरोवर/2023-24

दिनांक 02 अगस्त, 2023

महोदय,

आप द्वारा प्रदत्त निर्देशानुक्रम में ग्राम पंचायत बखरियां में कबीर मठ के पास अमृत सरोवर निर्माण के संबंध में वांछित सूचना योजनावार निम्नवत् है:-

मनरेगा

- 1- प्राक्कलित लागत- 0.40 लाख
- 2- कुल व्यय- 18845.00 रू0
- क- श्रम- 13845.00 रू0
- ख- सामग्री- 5000.00 रू0
- 3- मनरेगा से कराये गये कार्य- मिट्टी कार्य एवं सिटिजन इन्फार्मेशन बोर्ड

पन्द्रहवां/राज्य वित्त

- 1- प्राक्कलित लागत- 07.49 लाख
- 2- कुल व्यय- 724185.00 रू0
- क- श्रम- 72365.00 रू0
- ख- सामग्री- 651550.00 रू0 (1- पाथ वे निर्माण पर- 587550.00 रू0, 2- बेंच स्थापना पर- 64000.00 रू0 एवं 3- फेंसिंग कार्य का अभी भुगतान नहीं हुआ है।)
- 3- ग्राम निधि से कराये गये कार्य- पाथ वे, बेंच एवं फेंसिंग (पाइप द्वारा)

सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक- अमृत सरोवर निर्माण संबंधी शासनादेश।

भवदीय

खण्ड विकास अधिकारी
काशीविद्यापीठ, वाराणसी।

संख्या-2 /2022/245/अड़तीस-7-2022-46नरेगा/2019

संख्या-723/33-3-2022-723/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2022

पंचायती राज अनुभाग-3

विषय: आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का विकास।
महोदय,

देश के आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारत सरकार से यह निर्देश प्राप्त हुये हैं कि प्रत्येक जनपद में 75 अमृत सरोवरों का विकास किया जाये। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लोकसभा में 75 अमृत सरोवरों के साथ साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर के विकास का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में अमृत सरोवर यानि कि कुल 6000 अमृत सरोवरों का चिन्हंकन उनके प्रगति की रिपोर्टिंग व डाकूमेन्टेशन आदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित एम.आई.एस./पोर्टल पर किया जाएगा। अमृत सरोवरों के विकास का कार्य ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग(टाइड/अनटाइड), राज्य वित्त आयोग व मनरेगा योजना में प्राप्त होने वाली धनराशि से कराया जाएगा।

2. प्रत्येक जिला पंचायत अपने जनपद में कम से कम 05 अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्ण कराएगी एवं प्रत्येक क्षेत्र पंचायत अपने विकास खण्ड में कम से कम 03 अमृत सरोवरों का विकास मनरेगा/केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से करायेंगे। समस्त अमृत सरोवरों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी।

3. अमृत सरोवर में वर्ष पर्यन्त जल की उपलब्धता बनी रहे, इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। परन्तु अमृत सरोवर को मुख्यतः वर्षा जल को संचित कर ही भरा जाएगा। अमृत सरोवर के तट पर अधवा आस-पास (माँके की स्थिति के अनुसार) नीम, पीपल, कटहल, जामुन, बरगद, सहजन, पाकड़, महुआ आदि के पौधे लगाने जाएंगे।

प्रत्येक जनपद में अमृत सरोवरों की एक कार्य-योजना बनायी जाएगी, जो विभाग को प्रेषित की जाएगी। कार्य-योजना में साईट के जी.पी.एस. कोआर्डिनेट का वर्णन होगा। अमृत सरोवर वाटर स्टेथेड विकास खण्डों में चयनित किए जायेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व वरिष्ठ नागरिकगण अमृत सरोवर के शुरुआत में भूमि पूजन आदि कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमृत सरोवरों के साईट के चयन में भी ऐसे गाँव को वरीयता दी जाएगी जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीदों (आजादी के बाद) के गाँव हैं।

4. अमृत सरोवर में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी दशा में गांव की नालियों से होता हुआ गन्दा पानी नहीं पहुंचे। अमृत सरोवर में गन्दा जल (सीवेज) न जाये इसके लिए यथा आवश्यक डाइवर्जन नाली आदि का निर्माण किया जाएगा। अमृत सरोवर में वर्षा का जल पूर्ण रूपेण आ सके, इसके लिए समुचित इनलेट की व्यवस्था की जाएगी तथा वर्षा जल वहां तक पहुंच सके इसके लिए आवश्यक चैनलाइजेशन भी किया जाएगा। तालाब में साफ पानी अन्दर जाए, इसके लिए पानी के आगमन (इन्ट्री प्वाइन्ट) पर यथा आवश्यक स्क्रीन एवं सिल्ट चैम्बर की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जिस सरोवर में क्षमता से अधिक जल आने की सम्भावना हो, वहां जल निकासी की भी समुचित व्यवस्था बनायी जाये।
5. पौधों को लगाने के उपरान्त इनके रख-रखाव, सिंचाई आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। पौधों की सुरक्षा के लिए यथा आवश्यक मौके की स्थिति के अनुसार बाड़ (फेन्सिंग) की व्यवस्था की जाएगी। अमृत सरोवर के निर्माण विकास व रख-रखाव पर ग्रामवासियों विशेषकर स्वयं सहायता समूह की विशेष सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। अमृत सरोवर के विकास का कार्य 15 अगस्त, 2022 तक पूर्ण किया जाएगा।
6. अमृत सरोवर का न्यूनतम रकबा 1.00 एकड़ होगा और सरोवरों के तटबन्ध पर आवश्यकतानुसार वॉकिंग पथ विकसित किया जाएगा एवं उचित स्थान पर बेंच की भी स्थापना की जाएगी ताकि सुबह शाम सैर करने के लिए ग्रामीण इसका प्रयोग कर सकें। अमृत सरोवरों में आवश्यक लम्बाई में एवं उचित गहराई तक सीढ़ियों का निर्माण भी किया जाएगा।
7. अमृत सरोवरों के तटबन्ध उचित स्थान पर तिरंगा झण्डा रोहण की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर गाँव के लोग झण्डा रोहण कार्यक्रम आयोजित कर सकें।
8. अमृत सरोवर के सौन्दर्यकरण कार्यों में शासकीय धन का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे गैर शासकीय, नागरिकगण एवं सी0एस0आर0 आदि से कराया जाएगा। अमृत सरोवर के सम्बन्ध में भारत सरकार से निर्गत पत्र संख्या- L-11012/1/Amrit Sarovar/RE-VII-2022 दिनांक 18.04.2022 की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न है।
9. ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल water.ncog.gov.in/AmritSarovar/login पर प्रत्येक जनपद के लिए यूजर आई.डी. और पासवर्ड, जो प्रारम्भिक रूप से उस जनपद का नाम (अंग्रेजी में) पहला लेटर कैपिटल के साथ तथा शेष लेटर स्मॉल बनाया गया है। प्रत्येक जनपद में लगभग 100 वाटर बाडीज का एड्रेस/विवरण इस पोर्टल पर दिए गए हैं।
10. राजस्व विभाग के पोर्टल bor.up.nic.in पर जिलों से प्राप्त वाटरबाडी के सम्बन्ध में अपलोड की गई सूचना से प्रत्येक जनपद के लिए 100 ऐसे वाटर बाडीज, जिनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उनकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रत्येक जनपद में आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में विकसित किये जाने वाले अमृत सरोवर का चयन उपरोक्त पैरा-9 व 10 में उल्लिखित साईट में से ही यथा सम्भव किया जाए। प्रस्तर-9 व संलग्न सूची के अनुसार चयनित अमृत सरोवर के प्रोजेक्ट पर नियमानुसार यथा आवश्यक ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक अमृत सरोवर की जियो टैगिंग की जाएगी।

11. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमृत सरोवर को ग्राम पंचायत के द्वारा एक रमणीक स्थल के रूप में विकसित व अनुरक्षित किया जाएगा। वर्षा ऋतु के पहले अमृत सरोवर के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाना है, अतः तत्काल इस पर कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव
ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग

संख्या-245(1)/अडतीस-7-2022 तद्दिनांक

संख्या-723 (1)/33-3-2022-723/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मा0 पंचायती राज मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, राजस्व, कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
8. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
9. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
11. जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

PANKAJ KUMAR
SECRETARY,
Ministry of Water Resources, River
Development & Ganga
Rejuvenation



NAGENDRA NATH SINHA
SECRETARY,
Department of Rural Development

SUNIL KUMAR
SECRETARY,
Ministry of Panchayati Raj

AJAY TIRKEY
SECRETARY,
Department of Land Resources

VINI MAHAJAN
SECRETARY,
Department of Drinking Water &
Sanitation

LEENA NANDAN
SECRETARY,
Ministry of Environment, Forests &
Climate Change

DO # L-11012/1/Amrit Sarovar/RE-VII-2022 (e.379839)

April 18, 2022

Dear Chief Secretary,

India is celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav, marking 75 years of Independence from British rule this year. In order to commemorate this momentous occasion, it has been decided that at least 75 water bodies may be created or rejuvenated in every district. These may be called Amrit Sarovars.

2. You are already implementing the Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain Campaign. The creation/rejuvenation of the Amrit Sarovars will be a special effort under this programme. The Central Nodal Officers under Jal Shakti Abhiyaan-Catch the Rain campaign will also monitor the progress of Amrit Sarovar works during their field visits.

3. The size of Amrit Sarovars should be befitting the occasion that they commemorate. Following discussion with various stakeholders and field officials, it is suggested that a minimum pondage area of 1 Acre may be planned for. If the district is unable to create as many new Amrit Sarovars, they may take up rejuvenation/desilting of the existing structures for restoring their ecological and productive utility.

- (i) In order to optimise the benefit of the Amrit Sarovars and to ensure that the implementation is done in the most credible manner, technology including remote sensing/geospatial will be used extensively from site selection stage till its completion. AMRIT SAROVAR portal developed by Bhaskaracharya Institute of Space Application and Geomatics-National (BISAG-N) will be used to generate list of potential sites, monitor progress and upload media.

contd...

- (ii) Such development proposal may include removal of encroachments both within the body as well as in the catchment and drainage, treatment of greywater flowing to it, plantation of tree such as नीम (Azadirachta indica), पीपल (Ficus religiosa), बरगद (Ficus benghalensis) etc. Special care be taken to ensure treatment of bund around the structure by ensuring layerwise compaction, including through use of machinery, turfing and appropriate slope thereof. However, public funds should not be used for beautification works. Citizens and non-government bodies may contribute, if they want such work to be taken up.
- (iii) A district wise plan of action regarding the Amrit Sarovars may be prepared and shared with the Department of Rural Development as well as with the National Water Mission, Ministry of Jal Shakti. The action plan should include GPS coordinates of the selected sites, as well as the time required to complete the activity. While finalising the sites, District may provide focus on water stressed blocks, especially with reference to Drinking Water.
- (iv) Peoples' participation is key to entire initiative as it is meant to evoke collective spirit of the community. Equally important for the Campaign is to remember and recognize the families of freedom fighters and martyrs (of post-independence era). They and those elder citizens who have watched the nation grow would lead their communities in foundation laying, inauguration and flag-hoisting on the eve of Amrit anniversary of Independence along with women, youth, school children and others. The sites of the Sarovars located in the villages of freedom fighters and martyrs would also be prioritised over others.
- (v) It will be necessary to also plan for use of the Amrit Sarovars a priori and users association be accordingly created largely drawn from members of the SHGs. They should be

contd....


encouraged to participate in its development through their labour and also observe vigil on scrupulous implementation.


- (vi) If feasible Amrit Sarovars sites are located such that they lie partly or fully in the forest areas, the same may be taken up by the forest agencies or consent may be provided to other agency who may be entrusted with the work.
 - (vii) This exercise may be begun as early as possible so as to complete a substantial number of structures by August 15, 2022. Those States, which may find it difficult to adhere to the above timetable on account of early rains e.g. the states in the North-East, may seek permission for following a different timetable within the financial year 2022-2023. In any case, all such structures must be completed by end of Amrit Varsh i.e. 15th August 2023.
 - (viii) Every Amrit Sarovar worksite will have a common signage (Board) of standard size and logo. A template of the board will be shared by Ministry of Rural Development.
4. Resources for this activity available from MGNREGS, XV Finance Commission Grants (both tied and untied), PMKSY-WDC, PMKSY-HKPP-RRR or similar schemes from the State/ Central Govt. either singly or in combination may be accessed for this purpose.
5. Following calendar for development of the Amrit Sarovar is proposed:
- (i) **By 23th April 2022:** Identification of the potential site, site examination and stakeholder consultation
 - (ii) 24th April 2022: Start of Amrit Sarovar Work
 - (iii) By 15th August 2023: Completion of construction
6. Central/State Nodal Officers may assist the Distt. in following the above timetable and provide feedback to Central/State Govts. in this regard for corrective action, if any.
7. District and States should separately document the entire initiative recording various vignettes of development of Amrit Sarovar, unique features of mobilisation of the community, donations provided by the citizens etc.

contd...

6. We look forward to your whole-hearted support in commemorating the Azadi Ka Amrit Mahotsav by creating "Amrit Sarovars".


Yours sincerely,


(PANKAJ KUMAR)
SECRETARY (WR, RD & GR)


(NAGENDRA NATH SINHA)
SECRETARY (RURAL
DEVELOPMENT)


(SUNIL KUMAR)
SECRETARY (PANCHAYATI RAJ)


(AJAY TIRKEY)
SECRETARY (LAND
RESOURCES)


(VINI MAHAJAN)
SECRETARY (DRINKING WATER
& SANITATION)


(LEENA NANDAN)
SECRETARY (ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE)

To
Chief Secretaries of all States/UTs

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी. 36, अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स- 0542 2585574

ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांक- 08 /29-1 दिनांक, वाराणसी, अगस्त 05, 2023।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
वाराणसी।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0नं0315/2023 एस0के0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.2023 के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक- 1358/ओ0ए0एन0 315/20233/2023 दिनांक-28.07.2023


महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में दिनांक- 01.08.2023 को अपर जिलाधिकारी(नगर), वाराणसी,परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0), वाराणसी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा बखरिया ग्रामसमाज में स्थित तालाब का भ्रमण किया गया जिसके किनारे छोटे व बड़े मिलाकर कुल 44 पौधे/ वृक्ष मिले जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

| क0सं0 | प्रजाति का नाम | संख्या | अनुमानित उम्र | अभ्युक्ति |
|-------|-----------------|--------|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पीपल | 01 | 70-80 वर्ष | हरा खड़ा |
| 2 | महुआ | 01 | 35-40 वर्ष | हरा खड़ा |
| 3 | बेल | 01 | 25-30 वर्ष | हरा खड़ा |
| 4 | नीम | 03 | 15-20 वर्ष | हरा खड़ा |
| 5 | आम | 01 | 25-30 वर्ष | हरा खड़ा |
| 6 | कैसिया स्यामिया | 01 | 03-04 वर्ष | हरा खड़ा |
| 7 | कैसिया स्यामिया | 03 | 02 वर्ष | हरा खड़ा |
| 8 | कैसिया स्यामिया | 10 | 06 माह- 01 वर्ष | हरा खड़ा |
| 9 | शीशम | 01 | 04-05 वर्ष | हरा खड़ा |
| 10 | शीशम | 01 | 02 वर्ष | हरा खड़ा |
| 11 | शीशम | 07 | 06 माह -01 वर्ष | हरा खड़ा |
| 12 | शीशम | 01 | 15-20 वर्ष | सूखा खड़ा |
| 13 | कंजी | 01 | 02 वर्ष | हरा खड़ा |
| 14 | सागौन | 02 | 02 वर्ष | हरा खड़ा |
| 15 | सागौन | 07 | 06 माह- 01 वर्ष | हरा खड़ा |
| 16 | छितवन | 03 | 02 वर्ष | हरा खड़ा |
| | योग- | 44 | | |

इसके अतिरिक्त तालाब के किनारे अर्जुन, जामुन, बरगद, गूलर, आम, नीम,बेल, शीशम आदि के कुल 30 पौधों का रोपण किया जायेगा, जिससे जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बना रहे।

भवदीय,


उपप्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

संख्या- / समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपप्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी